मंडल आयोग के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

711. **श्री मोहम्मद अफजल** उर्फ **सीम अफजल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद इस संबंध में सरकार द्वारा 30 जून, 1994 तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) सरकार द्वारा मंडल आयोग के प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रतिवेदन को अब तक कितने राज्यों में लागू किया जा चुका है ।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.के. तंग्काबालू) : (क) केन्द्र सरकार ने इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (मंडल मामला) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में निम्नलिखित कदम उठाए हैं ।

(1) केन्द्र सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में "सम्पन्न वर्ग" के निष्कासन की शर्त पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों में 27% आरक्षण का प्रावधान करते हुए 8 सितम्बर, 1993 को आदेश जारी किया ।

(2) केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से 14 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हि० प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां अधिसूचित कीं ।

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार में सम्बद्ध प्राधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी किए ।

(4) केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने के प्रयोजन से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी किए ।

(5) दिनांक 20-2-1994 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार की प्रथम नियुक्ति की ।

(ख) मंडल आयोग की पूर्ण रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) इस संबंध में ब्यौरे राज्य सरकारों से एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

Reservation for OBCs in Educational Institutions

712. SHRI JALALUDIN ANSARI : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to extend 27 percent reservation to those belonged to OBCs in educational institutions; and

(b) if so, the details threof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) and b) The matter is under examination of the Government.

Reservation system in Southern States

713. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some of the Soutern States where reservation system has been prevailing even before the implementation of Mandal Commission re-

commendations the quota level has been higher than 50 percent ceiling as decided by the Supreme Court;

(b) if so, the names of these States and the reservation quota prevailing at present in these States;

(c) whether Government has any proposal to make necessary amendments to the Constitution enabling such State Governments to maintain the status quo in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K.V. THANGKA BALU) : (a) Yes Sir.

(b) Two Southern States namely Tamil Nadu and Karnataka have reservation quota above 50%. The reservation quota of Tamil Nadu is 69%. In Karnataka the total reservation quota was 68% which has been increased to 73% on 17th April, 1994. and to 80% on 25th July 1994.

(c) and (d) The issue is under examination.

पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा पास करने के अवसर

714. चौधरी हरमोहन सिंह:
श्री ईश दत्त यादव :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग के एक मामले (इन्द्रा साहनी बनाम भारत सरकार) के संबंध में अपने निर्णय के पैरा 549 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर, परीक्षा शुल्क से छूट और अतिरिक्त प्रशिक्षण समय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इसका पालन कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंकाबालू) : (क) जी, हां । यह न्यायमूर्ति पी. बी. सांवत की टिप्पणी है । तथापि यह बहुसंख्य निर्णय का भाग नहीं है ।

(ख) तथा (ग) ये मुद्दे परीक्षणाधीन हैं ।

World Bank report on status and conditions of women

715. SHRI VIREN J. SHAH :
SHRI PRAMOD MAHAJAN :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the draft report on the status and condition of women, prepared by the World Bank which stated that there are about 75 million 'missing' women in India and China ;

(b) if so, how many of these 75 million missing women belong to India ;

(c) what were the necessary statistics about India obtained by the World Bank from Indian Government; if not, what is the source of the collection of the necessary statistics by the World Bank ; and

(d) what action has been taken by Government or propose to take about such women belonging to India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.